2014/00006

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सेड़वा

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2014

अपीलांट — **बनाम्** — **रेस्पोडेंट्स**

अपीलांट

1.लुम्भाराम पुत्र मांसीगाराम
2.पोकरराम पुत्र मांसीगाराम
3.जुंजाराम पुत्र हेमाराम
4.रामलाल पुत्र हेमाराम
5.पारूदेवी पत्नि हेमाराम
जाति जाट निवासी पाबूबेरी
तहसील, सेड़वा

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1.भीयाराम पुत्र सालुराम
2.पनाराम पुत्र सालुराम
3.दीपाराम पुत्र सालुराम
4.विशनाराम पुत्र सालुराम
5.हेमी बेवा सालुराम
जाति जाट निवासी पाबुबेरी
तहसील,सेड़वा
6.मैनेजर स्टेट बैंक आफ
बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांच
बामड़ला
7.तहसीलदार,सेड़वा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाक 07.09.2010 द्वारा तहसीलदार,सेड़वा।

उपस्थितः– 1.अपीलांट सं. 01 से 04 मय अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई उपस्थित।
2.रेस्पोडेंट संख्या 01से 04 उपस्थित,05 व 06 अनुपस्थित।
3.रेस्पोडेंट सं. 07 तहसीलदार सेड़वा उपस्थितं

निर्णय दिनांक 10.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 286/105 रकबा 125 बीघा ग्राम पाबुबेरी में आयी हुई थी। जिसमें प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंटस को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब कीं।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सेड़वा में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट संख्या 01 से 04 व इनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 06 तहसीलदार सेड़वा उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 07.09.2010 2010 के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पाबबुेरी में खसरा नम्बर 286/105 रकबा 125 बीघा आयी हुई थी। अपील पत्र के अवलोकन से अपीलांट् ने अपनी अपील में यह कही नहीं बताया कि उसे वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा बंटवाड़ा में कम दिया गया तथा यह भी नहीं बताया कि विभाजन आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने अपनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एंव रेस्पोडेंटस के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। पहिचानकर्ता पटवारी हल्का केकड़ ने पहचान दी है। जिसके आधार पर तहसीलदार सेड़वा ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एंव मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2010 यथावत कायम रखा जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय कैम्प सेड़वा में आज दिनांक 10.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर